

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

कमांक:-स्था.(रा.न्या.से.)/सं.प.अ./ 138 /2022 दिनांक : 28.09.2022

श्रीमती सुमन सिंघल (RJ0981), प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, करौली को दिनांक 10.10.2022 से 16.10.2022 तक 07 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) दिनांक 08.10.2022 से 09.10.2022 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती सिंघल की अनुपस्थिति में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, करौली इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, करौली के पद पर ही होने की संभावना है।

आज्ञा से

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

कमांक:-स्था.बी.2(4)/147/2015/6617

दिनांक : 28.09.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, करौली को उनके पत्रांक 7030 दिनांक 19.09.2022 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती सुमन सिंघल (RJ0981), प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, करौली।
4. प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, करौली।
5. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, करौली।

सहायक रजिस्ट्रार